

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

YL 0006282540



DATE & TIME :

22-SEP-2022 15:35:58

NAMES OF THE ACC REGISTERED USER :

SAHAJ RETAIL LIMITED

LOCATION :

CIVIL COURT MUZAFFARPUR

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT221312235P765

e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 90

(Rupees Ninety Only)

No 146 Book No 8
22/09/2022



BRCT221312235P765



Statutory Alert : The authenticity of this e-Court Fee receipt should be verified at www.shohestamp.com. Any discrepancy in the details of this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & ticking by the Court Official.



प्रपत्र-ख
शपथ-पत्र

मैं, किरण देवी पित्त/पति सुजय कुमार के बार्ड संख्या 17
उम्र 32 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत
मोहल्ला गाम्हाट ब्रह्मचान रोड स्थाना गाम्हाट, जिला मुजफ्फरपुर

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत गाम्हाट के
बार्ड संख्या 15 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर
पंचायत गाम्हाट के बार्ड 15 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य
पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - पिन्दु कुमार
नाम- पिन्दु कुमार
पता- गाम्हाट ब्रह्मचान रोड

किरण देवी
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

Janga Kumar Singh
Adv.
22.9.022

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर हिमानन्द कुमार
नाम- हिमानन्द कुमार
पता- गाम्हाट ब्रह्मचान रोड

En. No. 1932/97

स्थान: मुजफ्फरपुर

दिनांक: 22.9.022

Advocate has solemnly declared before me

Janga Kumar Singh

लिगातार

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिशनर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

..... जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत 7640

के वार्ड संख्या 15 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- निरुप दैवी-

पिता/पति का नाम- एच० अजय सैनी

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं- शुभ

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:-

- (i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- शुभ
- (ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- शुभ
- (iii) किये गये अपराध की प्रकृति- शुभ
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)
- (iv) दिया गया दण्ड- शुभ
- (v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- शुभ
- (vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- शुभ

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? शुभ

- (i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- शुभ
- (ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- शुभ
- (iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- शुभ
- (iv) यदि निष्पादित है, तो शुभ
- (क) निष्पादन की तिथि- शुभ
- (ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शुभ

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शुभ

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शुभ

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- शुभ

- (i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों- शुभ
- (ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- शुभ

क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर वैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- शुभ

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- शुभ
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शुभ
- (iii) अपराध संख्या शुभ
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शुभ
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शुभ

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कौडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- शुभ

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है-
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शुभ
- (iii) अपराध संख्या- शुभ
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शुभ
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शुभ

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- शुभ

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- शुभ

(ii) शहरी भूमि- शुभ

(iii) भवन- 13 घूर में मकान

मुम्बई महानगर - 60,00,000/- रुपये

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद - शून्य

(ii) बैंक बैलेन्स- शून्य
(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपोजिट शून्य
(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर- शून्य
(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन - शून्य
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण शून्य - ५०० रु.
(पूर्ण विवरण दें) ५५,०००/- रु.

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/

वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ

(प्रमाण-पत्रों के साथ) शून्य - बैंक ऑफ़ इंडिया
50,000/-

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज

के नाम के साथ अंकित करें- गान्धी मेमोरियल सागर

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- शून्य

तिथि- 23/03/2022

किरण देवी

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेलथ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।
स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।